रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 मई, 1997/17 वैशाख, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 मई, 1997

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-3/97-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 3-5-1997 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 4) को

1278-राजपत्र/97-7-5-97—1,313. मूल्य : 1 रुपया

1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

1997 का अधिनियम संख्यांक 12.

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 मई, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 है।

धारा 8 का संशोधन।

1974 का 18.

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 में,—

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में "भूमिहीन व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, ",प्राकृतिक विपत्ति पीड़ित व्यक्ति" चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "प्राकृतिक विपत्ति" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, बाढ़, भूकम्प, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बर्फ़ानी तूफ़ान, ओलावृष्टि, अग्नि, अतिवृष्टि, मेघ विस्फोट, आंधी, बिजली द्वारा कारित विपत्ति भी है।"

धारा 8-अ का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8-अ में "किसी व्यक्ति को पट्टे पर देकर" शब्दों के स्थान पर "किसी व्यक्ति को अन्तरण द्वारा चाहे पट्टे या आदान-प्रदान के रूप में हो," शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LAND VESTING AND UTILISATION (AMENDMENT) ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 1997)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 8.

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation Act, 1974 (hereinafter called the principal Act), 18 of 1974—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*), in sub-clause (*i*), after the words "landless person", the sign and words ", a victim of natural calamities" shall be added; and

(*b*) at the end, the following explanation shall be added, namely :—

"*Explanation.*—For the purpose of this section, the expression 'natural calamities' shall mean and include calamities caused by floods, earthquakes, land slides, avalanches, snow-storms, hail-storms, fire, excessive rains, cloud burst, wind storms and lightening.".

Amendment of section 8-A.

3. In section 8-A of the principal Act, for the words "by lease to any person", the words "by transfer whether by way of lease or exchange to any person" shall be substituted.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।